

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन+91-542-2502655/2502644,

फैक्स-91-542-2501450,

ईमेल-sspvns-up@nic.in,

Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 159/ 2020

दिनांक: अगस्त, 26/2020

प्रेस नोट

दिनांक 25.08.2020 को थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा एक अभियुक्त अरमान हुसैन गिरफ्तार, कब्जे से Mcdowells No 1 के 375 ML के 190 पेटी कुल 4560 बोतल, Mcdowells No 1 Original जिसमें 750 ML के 40 पेटी कुल 480 बोतल और Imperial Blue hand-picked Whisky Grain 375 ML के 160 पेटी में 3840 बोतल, कीमत करीब 55 लाख रूपये मय D.C.M. बरामदा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेंकिंग के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना प्रभारी रोहनियाँ के नेतृत्व में दिनांक 25-08-20 को थाना रोहनियाँ पुलिस अखरी बाईपास पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग में मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर खास ने आकर बताया कि एक व्यक्ति, एक सफेद रंग की D.C.M. जिसका नम्बर UP 14 HT 3073 है, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब लदी है, जिसे हरियाणा से बिहार बेचने के लिए ले जा रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले राजातालाब बाजार पार किया है। इस सूचना पर विश्वास करके थाना रोहनियाँ पुलिस मय मुखबिर के वहाँ से रवाना होकर लठिया बाईपास पर पहुँचकर राजातालाब की तरफ से आते हुए वाहनों की सघन चेकिंग प्रारम्भ कर दी। थोड़ी देर में एक सफेद रंग की D.C.M. राजातालाब की तरफ से आती हुई दिखायी दी, जिसकी तरफ इशारा करके मुखबिर खास ने बताया कि यही सफेद रंग की D.C.M. आ रही है, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब लदी है। मौजूद पुलिस बल द्वारा उक्त वाहन को घेराबन्दी कर रोका गया। पकड़े गए व्यक्ति की जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछने पर अपना नाम अरमान हुसैन उम्र-27 वर्ष, पुत्र ईमान अली, निवासी-बारामरा पाथर, थाना-मिकिरभेटा, जिला-मरिगाँव, असम बताया। उक्त D.C.M. की तलाशी ली गयी तो उसमें से Mcdowells No 1 के 375 ML के 190 पेटी कुल 4560 बोतल, Mcdowells No 1 Original जिसमें 750 ML के 40 पेटी कुल 480 बोतल और Imperial Blue hand-picked Whisky Grain 375 ML के 160 पेटी में 3840 बोतल, कीमत करीब 55 लाख रूपये बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 334/20 धारा 307 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अरमान हुसैन उम्र 27 वर्ष, पुत्र ईमान अली, निवासी-बारामरा पाथर, थाना-मिकिरभेटा, जिला मरिगाँव, असम।

बरामदगी का विवरण-

- एक D.C.M. जिसका नम्बर UP 14 HT 3073 व Mcdowells No 1 जिसमें 375 ML के 190 पेटी कुल 4560 बोतल, Mcdowells No 1 Original जिसमें 750 ML के 40 पेटी कुल 480 बोतल और Imperial Blue hand-picked Whisky Grain 375 ML के 160 पेटी में 3840 बोतल कीमत करीब 55 लाख रूपये ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- नि0 अपराध इन्द्रभूषण यादव, उ0नि0 गौरव पाण्डेय चौकी प्रभारी अखरी, उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार तिवारी, का0 साजमन कुमार व का0 अरविन्द कुमार थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन+91-542-2502655/2502644,

फैक्स-91-542-2501450,

ईमेल-sspvns-up@nic.in,

Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 160/ 2020

दिनांक: अगस्त, 26/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 26.08.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी व पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के निर्देशन में पशु तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कैण्ट की देखरेख में एक टीम का गठन कर पशु तस्करों के खिलाफ अभियान में मुखबिर की सूचना पर प्रदुम्न शर्मा उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र विनोद शर्मा, पता-भोहर, पोस्ट-अमर पट्टी, थाना-चोलापुर, वाराणसी व कृष्णा यादव उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र गुलाब यादव, पता-चन्दापुर, थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी को समय 06.00 बजे गायत्री नगर तिराहे से दो गाड़ियों में 12 गाय व बछड़े के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0647/2020 धारा धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ- कड़ाई से पूछताछ करने पर प्रदुम्न शर्मा और कृष्णा यादव ने बताया कि हम लोग देहात व शहर क्षेत्रों से गाय व बछड़ों को कम दाम में खरीद कर बड़े-बड़े स्लाटर होम के मालिकों से सम्पर्क कर उच्चे दाम में बेच देते हैं जिससे काफी पैसा मिलता है। इस काम में मैजिक वाहन स्वामी बल्लू उर्फ सुजित पटेल व पिकअप वाहन स्वामी अमित पटेल की गाड़ी का प्रयोग करते हैं। हम सभी लोग यह कार्य कई वर्षों से कर रहे हैं। आज सुबह लिंक मार्ग होते हुये पागलखाने के पास से गायत्री नगर तिराहा पर हम लोग पहुँचे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- प्रदुम्न शर्मा उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र विनोद शर्मा, पता-भोहर, पोस्ट-अमर पट्टी, थाना-चोलापुर, वाराणसी।
- कृष्णा यादव उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र गुलाब यादव, पता-चन्दापुर, थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- 09 अदद गाय का बछड़ा।
- तीन अदद गाय।
- वाहन पिकप रजि0 न0 UP 65 DT 7075
- वाहन मैजिक रजि0 न0 UP 65 ET 8656

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 तरूण कुमार कश्यप, का0 रामानन्द यादव क्राइम टीम, का0 विपुल प्रसाद, का0 रविन्द्र यादव, का0 गोपाल सिंह, का0 सुनील गौतम व का0 चालक सचिन थाना कैण्ट वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध असलहे के साथ विनोद साहनी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनपद में घटित होने वाले संगीन अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व रात्रि गस्त के दौरान दिनांक 25.08.2020 को मुखबिर की सूचना पर विनोद साहनी पुत्र रामजी साहनी निवासी सूजाबाद, थाना रामनगर, वाराणसी को डोमरी ग्राउण्ड से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद देसी तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0129/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- विनोद साहनी पुत्र रामजी साहनी, निवासी-सूजाबाद, थाना रामनगर, वाराणसी उम्र 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद देसी तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री आशीष मिश्रा – चौकी प्रभारी सूजाबाद, थाना रामनगर, वाराणसी।
2. उ0नि0 कालीदीन– थाना रामनगर, वाराणसी।
3. हे0का0 कालिका प्रसाद– थाना रामनगर, वाराणसी।
4. हे0का0 अशोक सिंह– थाना रामनगर, वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

थाना शिवपुर पुलिस द्वारा दिनांक 26.08.2020 को मु0अ0सं0 0410/2020 धारा 457/380/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त बाबू नट व गुलशन कब्जे से एक अदद लैपटाप DELL व नगद 1950 रुपये बरामद

थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा 25/26.08.2020 की रात्रि गश्त के दौरान मु0अ0सं0 410/2020 धारा 457,380 भादवि में वांछित अभियुक्त बाबू नट पुत्र तुल्ला व गुलशन पुत्र जवाहर को दुधहिया पोखरी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से एक DELL कम्पनी का काला रंग का लैपटाप व रू0 1950/- नगद बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01. बाबू नट पुत्र तुल्ला निवासी दुधहिया पोखरी महेशपुर थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष।
02. गुलशन पुत्र जवाहर निवासी दुधहिया पोखरी महेशपुर थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 0410/2020 धारा 457/380/411 भादवि शिवपुर वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- 1- एक अदद लैपटाप DELL 48Y80F2EXPRESS
- 2- 1950 रुपये

गिरफ्तारी का स्थान-

- दिनांक 26.08.2020 समय 01.50 बजे दुधहिया पोखरी थाना शिवपुर वाराणसी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1- उ0नि0 श्री बनारसी यादव थाना शिवपुर जनपद वाराणसी ।
- 2- कां0 सिकन्दर थाना शिवपुर वाराणसी ।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन+91-542-2502655/2502644,

फैक्स-91-542-2501450,

ईमेल-sspvns-up@nic.in,

Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 163/ 2020

दिनांक: अगस्त, 26/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 26-08-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 37 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *297 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1174 वाहनों का चालान, 04 वाहनों को सीज तथा 421 वाहनों से रु0-3,65,600/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 26-08-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1410 व्यक्तियों से रु0-1,43,700/- जुर्माना* जमा कराया गया।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी